

५/१



[Handwritten signatures and marks]

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रतिष्ठा से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]
No. 11

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1906
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5, 1985/PAUSA 15, 1906

[Circular stamp with handwritten text: 102, 10/2, 10/2]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1984

सांकांनिः—राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण कार्य पद्धति) भर्ती नियम, 1982 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण कार्य पद्धति) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण कार्य पद्धति) भर्ती नियम, 1982 के क्लॉज 7 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“आवश्यक :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या शैक्षणिक मनोविज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समतुल्य।

(iii) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थान, अधिमानतः डिग्री महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण का पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी : 1—अर्हताएं, अन्यथा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे

वांछनीय :—(i) अनुसंधान पद्धति और कार्य पद्धति का ज्ञान।

(ii) शैक्षणिक/प्रशिक्षण मनोविज्ञान में प्रकाशित अनुसंधान कार्य।”

[सं.] 12016/8/81-य.
एन. एम. शर्मा, प्रचर. स.

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which the U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
--	--	---

12

13

14

Promotions

Health Education Officer (Teacher), Health Education Officer (Teachers' Training) and Health Education Officer (Primary Education, year regular service in the respective grade)

- (1) Group 'A' DPC (for considering promotion):—
 (i) Chairman/Member, U.P.S.C.—Chairman.
 (ii) Joint Secretary/Director, Ministry of Health and Family Welfare—Member.
 (iii) Director (CHEB), Directorate General of Health Services—Member.
 (2) Group 'A' DPC (for considering confirmation):—
 (i) Joint Secretary/Director, Ministry of Health and Family Welfare—Chairman.
 (ii) Director (CHEB), Directorate General of Health Services—Member.
 (iii) Director (A&V), Directorate General of Health Services—Member.

Consultation with the UPSC necessary while making promotion and direct recruitment.

Note:—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. A-12018/18/79-(HQ) Adm 11/Estt]

J.C. DUTT, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 1984

सा. का. नि. 17.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एन.द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम [उप महायक निदेशक (भंडार)] और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (भंडार अधिकारी) भर्ती नियम 1977 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम [उप महायक निदेशक (भंडार)] और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम [उप महायक निदेशक (भंडार)] और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 और 2 वाले पदों के आगे स्तम्भ 6 में कोष्ठक और शब्द "(सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)" के स्थान पर "(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)" कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या ए-12018/1/84-पी. एच. (सी. डी. एल)/मले.]

के. चंद्रमौलि, प्रवर सचिव

नोट. मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 24-6-1978 के मा. का. नि. संख्या 822 के तहत प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 11th December, 1984

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to amend the National Malaria eradication Programme [Deputy Assistant Director (Stores)] and the National Institute of Communi-

cable Diseases (Stores Officer) Recruitment Rules, 1977, namely:—

- (1) These rules may be called the National Malaria eradication Programme, [Deputy Assistant Director (Stores)] and National Institute of Communicable Diseases (Stores Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Malaria eradication Programme [Deputy Assistant Director (Stores)] and the National Institute of Communicable Diseases (Stores Officer) Recruitment Rules, 1977, against each of the posts at serial number 1 to 2, in column 6 for the brackets and words "(Relaxable for Government Servants)", the brackets and words "(Relaxable for Government servants by five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)" shall be substituted.

[No. A-12018/1/84-PH (CDL)-MAL.]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

NOTE.—Principal rules were published in part II Section 3 sub-section (i) of the Gazette of India vide GSR No. 822 dated 24-6-1978.

सूचना और प्रसारण संचालय

नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 1984

सा. का. न. 18.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 का और संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती (दूसरा संगोधन) नियम, 1984 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में,

(क) क्रम सं. 57(i) के सामने, स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"आशुलिपि श्रेणी 2" और

(ii) स्तम्भ 13 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 3 जिन्होंने 330-10-380 द.रो. - 12-500-द.रो.-15-560 रुपये के वेतनमान में उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है।"

(ख) क्र. सं. 58 के सामने, स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"आशुलिपिक श्रेणी 3"

[सं. 9/18/83-एस-II(बी)ए]

पी. एस. टोकस, अवर सचिव

टिप्पण. आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 नामक मूल नियम [मा. का. नि. 1776 तारीख 30-11-1964 द्वारा अधिसूचित] किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

1. अधिसूचना सं. 11/5/64-बी(ए) तारीख 9-8-1965
2. अधिसूचना सं. 5/2/67-बी(ए) तारीख 20-3-1967
3. अधिसूचना सं. 7/2/68-बी(ए) तारीख 14-6-68
4. अधिसूचना सं. 7/8/66-बी(ए) तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना सं. 20/8/67-बी(ए) तारीख 24-2-1970
6. अधिसूचना सं. 16/20/69-बी (डी) तारीख 30-3-1970
7. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 18-3-1971
8. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी(ए) तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी(ए) तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना सं. 1/11/71-बी(ए) तारीख 5-5-1972
11. अधिसूचना सं. 1/4/72-बी(ए) तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी(ए) तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना सं. 1/6/73-बी(ए) तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना सं. 1/11/73-बी(ए) तारीख 29-6-1973
15. अधिसूचना सं. 1/5/73-बी(ए) तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 15-5-1974
17. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 8-8-1974
18. अधिसूचना सं. 1/3/74-बी(ए) तारीख 21-5-1976
19. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी(ए) तारीख 17-12-1980
20. अधिसूचना सं. 12019/3/80-बी(ए) तारीख 27-4-1981
21. अधिसूचना सं. 12019/8/81-बी(ए) तारीख 17-5-1982
सा. का. नि.-526, तारीख 5-6-82
22. अधिसूचना सं. 12019/4/81-बी(ए) तारीख 11-4-1983
23. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी(ए) तारीख 19-9-1983
24. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी(ए) तारीख 26-12-1983
25. अधिसूचना सं. 7/19/83-ए आर बी(ए) तारीख 3-7-1984

1266 GI/84—8

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th December, 1984

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1984, *namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C') Recruitment (Second Amendment) Rules, 1984.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964,—
 - (a) against serial No. 57 (i) for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely :—
"Stenographer Grade II" and
 - (ii) for the entry in column 13, the following entry shall be substituted, namely :—
"Stenographer Grade III in the scale of Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 having at least 5 years regular service in the Grade".
 - (b) against serial No. 58 for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely :—
"Stenographer Grade III".

[No. 9/18/83-S. II/B (A)]
P. S. TOKAS, Under Secy.

*Note.—Principal Rules called the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964, and subsequently the following amendments have been notified.

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 16/20/69-B(D), dated 30-3-1970
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. Notification No. 1/7/72-B(A), dated 16-6-1972
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 25-3-1973
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
19. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
20. Notification No. 12019/3/80-B(A), dated 27-4-1981
21. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
(GSR 526 dated 5-6-1982)
22. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
23. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 19-9-1983
24. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 26-12-1983
25. Notification No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984